अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड .... कठूमर (अलवर) राज.

मिसल नं. 2/200/2020 **तारीख रजू** ....

उनवान पूरणमल **बनाम** आबिल्द वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल प्रार्थना पत्र 251 (ए) आरटीएक्ट के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे बकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतःअप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0, 3697, 3727, वाके ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 12.11.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 12.11.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
12.11.2020	बजाय पेशीकेन ..../P.O. बाहद अन्य कार्य व्यस्तता वास्ते दिनांक 14-..-2020 को पेश हो।	
18.11.20	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी / पुनः स्थगन पत्रावली आज मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील ने प्रा० पत्र पेश कर मूल वाद को खारिज करा लिया है। अतः प्रा० पत्र 212 RTA चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं अतः प्रा० पत्र 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली ... शुमार ... नम्बर से कम हो मूल वाद के साथ संलग्न हो। (पुनश्च) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	मैं ... चलाना नहीं चाहता हूँ पूरनमल